फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

ओमप्रकाश वनाम श्रीमती रोशन देवी वर्मा

केस संख्या 15/2023 (अपील वरिष्ठ नागरिक अधिनियम)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
14.03.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित है। पत्रावली के एडमीशन पर अपीलार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का भंलीभांति अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेर, जिला जयपुर के प्रकरण संख्या 03/2021 व–उनवानी श्रीमती रोशन देवी वर्मा बनाम ओमप्रकाश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.12.2022 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा–16 में अधिकरण के आदेश से व्यथित वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक को ही अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। यह अपील प्रत्यर्थी अभिभावक/वरिष्ठ नागरिक श्रीमती रोशन देवी वर्मा के पुत्र द्वारा पेश की गई है। फलस्वरूप प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से एडमीशन स्तर पर ही खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने के लिये स्वतंत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। प्रक (प्रकाश राज पुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	